

NBFC जमाकर्त्ताओं के लिये समय पूर्व पुनर्भुगतान दशा-नरिदेश

स्रोत: BL

तत्काल वित्तीय जरूरतों का सामना कर रहे **गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (NBFC)** जमाकर्त्ताओं की सहायता के लिये एक महत्त्वपूर्ण नरिणय के रूप में, **भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI)** ने वशिषिट शर्तों के तहत जमा राशियों के समय पूर्व पुनर्भुगतान की अनुमति देने वाले दशानरिदेश जारी किये।

- **संबंधति सरकार या प्राधकिरण** को अधसूचति चकित्सा व्यय या प्राकृतकि आपदाओं जैसी आपात स्थतितियों से नपिटने के लिये अब बनिा ब्याज के तीन महीने के भीतर जमा राशियों का समय पूर्व पुनर्भुगतान करने की अनुमति है।
 - जमाकर्त्ता के अनुरोध पर छोटी जमा राशियों (10,000 रुपए तक) का पूरा पुनर्भुगतान कयिा जा सकता है, जबकि अन्य सार्वजनकि जमा राशियों के लिये **50% या 5 लाख रुपए** (जो भी कम हो) तक की राश की नकिासी की जा सकती है।
 - गंभीर रोग मामलों में, बनिा ब्याज के मूलधन के **100%** राश की समय पूर्व नकिासी की जा सकती है।
- NBFC को नामांकन अनुरोधों को स्वीकार करने के लिये एक प्रणाली स्थापति करनी चाहिये जसिसे यह सुनश्चिति हो सके क सभी ग्राहकों को उनके नामांकन की स्थतितिके बारे में सूचति कयिा जाए।
 - जमा परपिक्वता के लिये नोटसि अवर्धा दो महीने से घटाकर 14 दनि कर दी गई है, जसिसे जमाकर्त्ताओं के साथ संचार में वृद्धि हुई है।
- NBFC **कंपनी अधनियिम, 1956** के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जो ऋण और अग्रमि, प्रतभितियों के अधगिरहण, बीमा व्यवसाय, चटि व्यवसाय के व्यवसाय में लगी हुई है।
 - बैंकों और NBFC के बीच मुख्य अंतर यह है क **NBFC मांग जमा/डमिांड डपिाजति स्वीकार नहीं कर सकते** हैं, भुगतान और नपिटान प्रणाली का हसिसा नहीं है, और NBFC के जमाकर्त्ताओं के लिये **जमा बीमा सुवधि** उपलबध नहीं है।

और पढ़ें: **RBI करेगा NBFC की समीकषा**